## न्यायालयः— अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 समक्ष—डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 14 / 2015 वैवाहिक

कमलिकशोर पुत्र ग्यासीराम आयु 25 साल जाति माहौर निवासी संतोष नगर वार्ड कं05 गोहद —————याचिका कर्ता / आवेदक बनाम श्रीमती प्रेमलता उर्फ सोनम पत्नी कमलिकशोर पुत्री प्रेमसिंह आयु 21 साल जाति गौड निवासी ज्योतिपुर पिन्ड्रा रोड वार्ड नं011 थाना गौरेला पोस्ट गौरेला जिला विलासपुर छत्तिसगण —————गैरयाचिका कर्ता / अनावेदिका

आवेदक द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता अनावेदिका एकपक्षीय

\_\_\_\_\_\_

//नि र्ण य// // आज दिनांक 14—5—15 को पारित किया गया //

01 इस आदेश द्वारा आवेदक / याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें अनावेदिका / गैर याचिका कर्ता जो कि उसकी विवाहित पत्नी है उसे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है |

02. आवेदक / याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उसका विवाह गैरयाचिका कर्ता के साथ दिनांक 13-5-13 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार माहौर महासभा का ग्वालियर एवं चंबल संभाग का आदर्श सामुहिक विवाह सम्मेलन से सम्पन्न हुआ था। विवाह उपरांत अनावेदिका आवेदक पित तथा पत्नी है । आवेदक तथा अनावेदक के मध्य शादी के कुछ समय तक अनावेदिका अच्छी तरह से रही थी उसके बाद

अनावेदिका लंडने झगडने लगी तथा अपने माता पिता के पास ज्योतिपुर पिन्ड्रा रोड वार्ड नं011 थाना गोरेला पोस्ट गौरेला जिला विलासपुर छत्तिसगण में निवास करने के लिये जिद करने लगी । आवेदक अपने परिवार को बचाने के लिये सामन्जस्य बिटाने का प्रयास करने लगा । आवेदक तथा अनावेदिका के संसर्ग से एक बच्ची आपरेसन से सर्राफ हास्पीटल ग्वालियर में पैदा हुयी जिसमें करीबन पचास हजार रूपये व्यय हुये थे । आवेदक तथा अनावेदिका के विवाह में किसी भी प्रकार का दहेज नहीं दिया गया था । अनावेदिका जानबूझ अपनी पुत्री को लेकर अपने माता पिता के घर पर निवास कर रही है तथा आवेदक को पति सुख से बंचित कर दिया है । आवेदक अपनी पुत्री व पत्नी को अपने साथ रखने को तैयार है । अनावेदिका दिनांक 20–7–14 को गोहद से अपनी मां के साथ में रिश्तेदारी में शादी में जाने के लिये गई हुयी थी उस समय अनावेदिका आवेदक के सोने के जेबर और पांच हजार रूपये नगद ले गयी थी उक्त समय से अनावेदिका आवेदक के साथ में रहने के लिये आज दिनांक तक नहीं आयी है । अनावेदिका आवेदक के साथ अंतिम बार संतोष नगर वार्ड कं05 गोहद में निवास किया है इस कारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार के अंतर्ग होना बताते हुए वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया है। अनावेदिका न्यायालय के द्वारा रजिस्टर्ड डांक से समंस जारी किए जाने के उपरात न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है इस कारण दिनाक 8–5–15 को अनावेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

04. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के संबंध में मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि—

क्या आवेदक वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करा पाने का अधिकारी है ? —::सकारण निष्कर्ष::—

05. आवेदक कमलिकशोर आवेदक साक्षी क01 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में शपथपत्र में किये गये अभिवचनों का समर्थन करते हुये बताया है कि दिनांक 13—5—13 को माहोर महासभा समिति ग्वालियर एवं चंबल संभाग के आदर्श सामुहिक विवाह सम्मेलन में सम्पन्न हुआ था | विवाह के उपरांत अनावेदिका पत्नी के रूप में उसके यहां रही तथा उनके संसर्ग से एक बच्ची का जन्म भी हुआ | आवेदिका कुछ दिन तक अच्छी तरह से रही उसके बाद वह लड़ने झगड़ने लगी और अपने मायके में रहने की जिद्द करने लगी | उसकी पत्नी दिनांक 20—7—14 को गोहद से अपनी मां के साथ रिश्तेदारी में शादी में जाने के लिये गयी थी तथा अपने साथ वह जेबर और नगदी पांच हजार रूपये लेकर गयी थी | उसके उपरांत से वह आज तक वह वापिस नहीं आयी है | उसको लाने के लिये कई बार प्रयास किया गया

और उसको लाने के लिये वह कई बार गये लेकिन वह नहीं आ रही है और साथ में रहने से इन्कार कर रही है । आवेदक के द्वारा इस संबंध में प्र0पी0 1 का दस्तावेज विवाह संपन्न होने के संबंध में पेश किया गया है जिसके अनुसार आवेदक का विवाह अनावेदिका के साथ दिनांक 13-5-13 को माहोर महासभा समिति के तत्वाधान में सामुहिक विवाह सम्मेलन में साम्पन्न हुआ था ।

आवेदक के द्वारा उपरोक्त संबंध में किया गया कथन का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है । यद्यपि जेबर एवं नगदी के संबंध में जो कि आवेदक अनावेदिका के द्वारा अपने साथ ले जाना बता रहा है । उक्त जेबर और नगदी आवेदिका के पास होने के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं है । ऐसी दशा में जेबर एवं नगदी अनावेदिका के द्वारा ले जाना एवं उसके पास होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता । किन्तु जहां तक अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी है एवं दिनांक 20-7-14 से अनावेदक के साथ उसके न रहने और साथ में रहने से उसके द्वारा इन्कार किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में साक्षी का कथन विश्वास योग्य पाया जाता है ।

आवेदक के द्वारा उपरोक्त संबंध में किये गये कथन की संपुष्टि आवेदक साक्षी ग्यासीराम साक्षी कं02 के कथन से भी होती है । जिसके द्वारा भी यह बताया जा रहा है कि अनावेदिका दिनांक 20-7-14 से जब से रिश्तेदार की शादी में जाने के लिये गयी थी तब से वह वापिस नहीं आयी है और उसे लाने के लिये कई बार प्रयास किया गया लेकिन द्वारा आवेदक के साथ आने से इन्कार किया गया है । इस संबंध में उपरोक्त साक्षी के द्वारा किया गया कथन प्रतिपरीक्षण के अभाव में अखण्डनीय रहा है । यद्यपि जेवर और नगदी के संबंध में कोई दस्तावेज प्रमाण न होने के परिप्रेक्ष्य में इस संबंध में किया गया कथन दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में प्रमाणित नहीं पाया जाता । किन्तु शेष तथ्य के संबंध में साक्षी को विश्वास योग्य माना जाता है । तद्नुसार आवेदक अनावेदिका से दाम्पत्य संबंध स्थापित करा पाने का अधिकारी है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका अंतर्गत 08. धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है :-

1-अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहित पत्नी है, के साथ आवेदक के साथ पत्नी धर्म का पालन एवं दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना करे।

2-प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष अपना अपना व्यय स्वयं बहन करेगे।

## प्र0कं0 14/2015 वैवाहिक

3—अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर सूची मुताविक जो भी हो दी जावे। तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थूपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड